डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2018-20

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

● वर्ष 62 ● अंक 5 ● भोपाल ● 1-15 अगस्त, 2018 ● पृष्ठ 8 ● एक प्रति 7 रु. ● वार्षिक शुल्क 150/- ● आजीवन शुल्क 1500/-

किसानों को उपार्जन की शेष राशि का शीघ्र भुगतान करें

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा रबी उपार्जन की समीक्षा

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने चना, मसूर और सरसों के उपार्जन की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने मूंग, उड़द के पंजीयन तथा प्याज और लहसुन की मंडियों में आवक की जानकारी ली। उन्होंने किसानों का शेष भुगतान शीघ्र करने के निर्देश दिये। बताया गया कि चना, मसूर और सरसों के किसानों को 7842 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। प्याज और लहसुन के लिये किसानों को 775 करोड़ रुपये से अधिक की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।

मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में रबी उपार्जन की समीक्षा करते हुए कहा कि चना मसूर और सरसों बेचने वाले जिन किसानों का भुगतान शेष रह गया है। उन्हें जल्दी भुगतान किया जाये। साथ ही किसानों को प्रोत्साहन राशि का वितरण भी सुनिश्चित किया जाये। बताया गया कि चना, मसूर और सरसों का 17 जिले के किसानों का भुगतान शत-प्रतिशत कर दिया गया है। मात्र 16 प्रतिशत भुगतान शेष है। इन फसलों पर राज्य सरकार द्वारा 100 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।

बताया गया कि मूंग उपार्जन के लिये 91 हजार 268 और उड़द के 22178 किसानों का पंजीयन किया गया है। किसानों के मूंग की मात्रा 2.42 लाख मी. टन और उड़द की मात्रा 0.29 लाख मी. टन की आवक है। इसी तरह 1 लाख 43 हजार 426 किसानों के 6 लाख 75 हजार 498 मी. टन लहसुन और 63 हजार 651 किसानों के 5 लाख 88 हजार 849 मी. टन प्याज की आवक हुई है। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना में किसानों को प्याज के लिये 400 रुपये प्रति क्विंटल के मान से 235 करोड़ और लहसुन के लिये 800 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 540 करोड़ से अधिक की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।

बैठक में मुख्य सचिव श्री बी. पी. सिंह, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री पी.सी. मीना, प्रमुख सचिव कृषि डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव खाद्य-नागरिक आपूर्ति श्रीमती नीलम शमीराव, प्रमुख सचिव सहकारिता श्री के.सी. गुप्ता आदि उपस्थित थे।

डिफाल्टर किसानों को एनसीएल नवीन ऋणमान से और नगद ऋण

मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना के प्रावधानों में संशोधन

भोपाल। मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना में शामिल होने वाले प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों के डिफाल्टर सदस्य कृषकों को एनसीएल नवीन ऋणमान से तत्काल वस्तु क्रय के साथ नगद ऋण स्वीकृत किया जा सकेगा। किसानों के हित में योजना में किये गये संशोधन का सहकारिता विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।

प्रमुख सचिव सहकारिता श्री के.सी. गुप्ता ने बताया कि कृषक समाधान योजना में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने और बकाया मूलधन की राशि का 50 प्रतिशत चुका देने पर कृषक को एनसीएल नवीन ऋणमान से तत्काल नगद ऋण स्वीकृत करने की कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि कृषक द्वारा जिस दिनांक को शेष आधे मूलधन की राशि चुकायी जायेगी, उसी दिन खाते में शेष बकाया ब्याज की सम्पूर्ण राशि माफ कर दी जायेगी। इसके साथ ही, कृषक को मूलधन की राशि के बराबर का शून्य प्रतिशत ब्याज का नवीन ऋण स्वीकृत कर दिया जायेगा। स्वीकृत ऋण में नगद ऋण एवं वस्तु ऋण का अनुपात वही होगा, जो जिले में नियमित किसानों के लिये प्रचलित है। वस्तु ऋण का वितरण तत्काल कर दिया जायेगा और आधे मूलधन से अधिक नगद ऋण का वितरण 10 दिवस पश्चात किया जा सकेगा।

कृषक को नवीन ऋणमान के अंतर्गत उपलब्ध शेष साख सीमा का अतिरिक्त ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर वस्तु ऋण के रूप में उपलब्ध होगा। आगामी रबी सीजन 2018-19 एवं इसके पश्चात आने वाले कृषि मौसमों में नगद एवं वस्तु ऋण का अनुपात सम्पूर्ण ऋण राशि के लिये वही होगा, जो कि उस जिले में नियमित श्रेणी के कृषकों के लिये लागू है।

ग्रीष्मकालीन मूँग की नियत विक्रय अवधि बढ़कर हुई 8 अगस्त

भोपाल। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने प्रदेश में पंजीकृत किसानों से ग्रीष्मकालीन मूँग की नियत विक्रय अवधि को बढ़ाकर 8 अगस्त कर दिया है। पूर्व में मूँग की विक्रय अवधि 31 जुलाई, 2018 तय की गई थी।

प्रदेश में ट्रांसपोर्ट हड़ताल के कारण उत्पन्न व्यवधान को देखते हुए यह तिथि बढ़ाई गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में ग्रीष्मकालीन उड़द की कृषि उपज मण्डी में नियत विक्रय अवधि पूर्व में तय की गई 31 जुलाई, 2018 ही रहेगी। किसान कल्याण विभाग ने इस संबंध में होशंगाबाद, सीहोर, रायसेन, नरसिंहपुर, जबलपुर, हरदा, विदिशा, गुना, देवास, इंदौर, धार, बालाघाट, कटनी, डिण्डोरी, सिवनी और दमोह जिला कलेक्टर को निर्देश जारी किये हैं।

ग्रामीण अंचल में 22 लाख से अधिक परिवारों को दिए गए पक्के आवास

भोपाल। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि सन् 2022 तक प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति को आवास मुहैया कराने के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। अभी तक प्रदेश के ग्रामीण अंचल में 22 लाख से अधिक जरूरतमंद परिवारों को पक्का आवास मुहैया करवाया जा चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में 7 लाख 9 हजार से भी अधिक आवास हितग्राहियों को सौंप दिये गये हैं, जो देश में सर्वाधिक है। मंत्री श्री भार्गव ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के एक अप्रैल 2016 से लागू होने के पहले मुख्यमंत्री अंन्त्योदय आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन और इंदिरा आवास योजना के माध्यम से 31 मार्च 2018 तक 15 लाख 3 हजार 694 हितग्राहियों को आवास मुहैया करवाये जा चुके हैं।

सहकारिता विभाग के अधिकारियों को सूचना के अधिकार का प्रशिक्षण

भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा संचालित सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल में दिनांक 12.07.2018 एवं 13.7.2018 को आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं म.प्र. भोपाल के अधिकारियों हेतु '' सूचना का अधिकार'' विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण अंतर्गत कुल 38 प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया। प्रशिक्षण का शुभारंभ संघ के प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन द्वारा किया गया। श्री रंजन ने उद्घाटन भाषण एवं कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डाला। इसके पश्चात राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के शिक्षा अधिकारी, श्री पृथ्वीराज सिन्हा द्वारा सूचना का अधिकार विषय पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। प्रथम सत्र में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 क्या, क्यों और कैसे पर विस्तृत जानकारी प्रदान की। इस सत्र में

प्रशिक्षण का माध्यम प्रश्नोत्तर रहा।

द्वितीय सत्र में सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जा सकता है इस विषय पर प्रकाश डाला गया। इस सत्र में प्रशिक्षण विधि लेक्चर एवं टू वे कम्युनिकेशन रही। सभी प्रतिभागी लंबे समय से सूचना का अधिकार से संबंधित रहे हैं, इसलिए कार्य के दौरान की वास्तविक समस्याओं एवं अधिनियम को लागू करने में आई कठिनाइयों के बारे में खुलकर चर्चा की गईं।

एक दूसरे की समस्याओं एवं उनके निराकरण से सभी प्रतिभागी परिचित हुए। सूचना के अधिकार के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में विभिन्न केस स्टडी पर विस्तार से चर्चा की गई।

इस सत्र में सभी प्रतिभागियों को छोटे समूहों में बांट कर प्रत्येक समूह को अलग अलग केस दिए गए। सभी समूहों को आपस में चर्चा कर अधिनियमानुसार केस की कार्यवाही प्रस्तावित करनी थी। तत्पश्चात सभी समूहों के द्वारा बारी बारी अपनी केस स्टडी को सभी के समक्ष स्पष्ट किया। प्रशिक्षक द्वारा केस स्टडी के उचित समाधान से सभी को अवगत कराया गया। अधिनियम के क्रियान्वयन संबंधी विभिन्न तकनीक एवं बारीकियों पर चर्चा की गई।

इस सत्र में खुली चर्चा एवं प्रश्नों का समाधान किया गया। सभी प्रतिभागियों के द्वारा कार्यक्रम मूल्यांकन पत्रक द्वारा एवं मौखिक रूप से कार्यक्रम आयोजन के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए।

कार्यक्रम के अंत में आभार प्रदर्शन संघ के प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन द्वारा किया गया। कार्यक्रम समन्वयक व्याख्याताद्वय श्री ए.के.जोशी एवं श्रीमती रेखा पिप्पल थे।

सहकारी बीज उत्पादक एवं विपणन संघ भोपाल में सायबर सुरक्षा पर कार्यशाला का आयोजन

भोपाल। म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्या., भोपाल द्वारा सायबर क्राईम व उससे सुरक्षा उपाय तथा कानूनी पहलू पर कार्यशाला का आयोजन दिनांक 18 जुलाई 2018 को म.प्र. राज्य सहकारी बीज उत्पादक एवं विपणन संघ मर्यादित भोपाल में किया गया। जिसमें बीज संघ के सलाहकार डा. एस.एस. भटनागर, सहायक प्रबंधक श्री एल.एन. यादव तथा सहकारिता विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में सायबर अपराध के प्रकार व तरीके के बारे में जानकारी दी गयी तथा इससे सुरक्षा के उपायों के प्रति जागरूक किया गया। भारतीय सूचना प्रोद्यौगिकी कानून 2000 के प्रावधानों की जानकारी भी प्रदान की गई। म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल के कम्प्यूटर प्रशिक्षक श्रीमति मीनाक्षी बान द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।

फसल गिरदावरी एप के संबंध में निर्देश

रायसेन। फसल गिरदावरी प्रतिवर्ष की जाने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो कि वर्ष में दो बार खरीफ एवं रबी सीजन की बुवाई के पश्चात् की जाती है एवं भू–अभिलेखों में दर्ज की जाती है प्रचलित पद्धति में कई बार जानकारी समय में अद्यतन नहीं होने या गलत हो जाने पर कई बार कृषक उन्हें प्राप्त होने वाले लाभों से वंचित रह जाते हैं। इन्हीं बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए फसल गिरदावरी संबंधी एप्लीकेशन का विकास मैप आई.टी. के सहयोग से राजस्व विभाग द्वारा किया गया है।

फसल गिरदावरी एप को मोबाईल फोन में उपलोड कर लोकेशन ऑन करना पड़ेगा जिसके बाद इसमें ऑनलाईन जानकारी अपलोड होगी। जैसे ही जानकारी सर्वर पर अपलोड होगी, संबंधित कृषक को उसे मोबाईल नंबर पर उससे संबंधित खसरों में फसल गिरदावरी के अंतर्गत दर्ज की गई जानकारी जिसमें बोवाई के अतिरिक्त वृक्षारोपण मकान या अन्य निर्माण आदि से संबंधित विवरण एसएमएस के माध्यम से भेजी जायेगी जिसमें एक ओटीपी भी होगा जब पटवारी द्वारा यह ओटीपी एप में डाला जायेगा तभी जानकारी को अंतिम माना जायेगा। इस एप को मोबाईल फोन में अपलोड कर लोकेशन ऑन करनी पड़ेगी जिसके बाद इसमें ऑनलाईन जानकारी अपलोड होगी जिससे की राजस्व विभाग के पास सटीक जानकारी दर्ज होगी।

एकीकृत सहकारी विकास परियोजना के तत्वाधान में

डाटा एंट्री आपरेटरों हेतु कार्यशाला का आयोजन

भोपाल। म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा एकीकृत सहकारी विकास परियोजना के तत्वाधान में प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थायें जिला भोपाल के डाटा एंट्री आपरेटरों हेतु दिनांक 18.7.2018 से 20.7.2018 तक तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम ''माइक्रोसाफ्ट ऑफीस, साइबर क्राइम, राइट टू इन्फार्स ई–उपार्जन एवं ई–को–आपरेटिव'' विषयों पर आयोजित किया गया। जिसमें 30 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया।

शुभारंभ उद्बोधन श्री ए.के. जोशी, प्रभारी प्राचार्य, म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा किया गया। तत्पश्चात श्री संतोष येड़े, राज्य समन्वयक द्वारा तीन दिवसीय कार्यशाला प्रथम दिवस ''ई–उपार्जन'' विषय पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई एवं द्वितीय एवं तृतीय दिवस पर विषय विशेषज्ञ श्री प्रवीण डबगर द्वारा ''ई–को–आपरेटिव'' विषय पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई तथा श्रीमती मीनाक्षी बान द्वारा ''माइक्रोसाफ्ट ऑफीस, साइबर क्राइम, राइट टू इन्फार्म (RTI) इत्यादि विषयों पर विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की गई। कार्यशाला के अंतिम सत्र में श्री ऋतुराज रंजन, प्रबंध संचालक द्वारा अपने उद्बोधन में सहकारिता पर जानकारी दी तथा संघ की भूमिका, कार्य प्रणाली एवं महत्व पर विस्तारपूर्वक समझाया गया एवं प्रतिभागियों के द्वारा कार्यक्रम मूल्यांकन पत्रक द्वारा तथा मौखिक रूप से कार्यक्रम के आयोजन पर अपने अपने विचार व्यक्त किये गये।

आई.सी.डी.पी. सिवनी में प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न

कुशल व सफल सहकारिता के लिए सार्थक प्रशिक्षण जरूरी

जबलपुर। एकीकृत सहकारी विकास परियोजना सिवनी एवं म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल के संयुक्त तत्वावधान में सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर द्वारा दिनांक 5 व 6 जुलार्ई 2018 को सिवनी में दो दिवसीय प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। पैक्स व लैम्पस के लिपिकों एवं विक्रेताओं के लिये आयोजित इस प्रशिक्षण सत्र में विभिन्न विशेषज्ञ/वक्ताओं द्वारा सहकारिता के मुख्य बिन्दुओं पर व्यापक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

प्रशिक्षण के समापन पर आईसीडीपी सिवनी की महाप्रबंधक व उपायुक्त सहकारिता सुश्री अनिता उइके ने प्रशिक्षार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करते हुए हार्दिक शुभकामनाएँ व्यक्त की और अपने उद्बोधन में कहा कि सार्थक प्रशिक्षण सहकारी समितियों के कर्मचारियों की कुशलता और सफलता दोनों ही के लिये आवश्यक है। प्रशिक्षण से प्राप्त महत्वपूर्ण जानकारियों का उपयोग समिति की कार्यप्रणाली को सरलता प्रदान करता है। सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर के व्याख्याता व सत्र समन्वयक व्ही.के. बर्वे ने व्यवसाय की नवीन सम्भावना, वसूली प्रबंध धारा 84 व 85 सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ के रूप में आईसीडीपी की भूमिका पर महाप्रबंधक सुश्री अनिता उइके ने म.प्र. सहकारी अधिनियम के नवीन प्रावधान पर, उपायुक्त सहकारिता श्री जी.पी. सोनकुसरे नेबैंकिंग कार्यप्रणाली पर महाप्रबंधक श्री आर.एस. पटेल ने ऑडिट की प्रक्रिया के नवीन प्रावधान पर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक श्री एन.डी. कटरे ने गोदाम रखरखाव पर विकास अधिकारी पर, श्री एम.के. बाझल व श्री व्ही.व्ही. शर्मा समरूप लेखांकन व लेखा संधारण पर सहकारी बैंक के से.नि. महाप्रबंधक श्री एस.पी. हरिनखेडे ने ज्ञानवर्धक व उपयोगी प्रशिक्षण प्रदान किया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंत में प्रमाण पत्र वितरण के पूर्व मूल्यांकन भी किया गया जिसमें प्रशिक्षण की उपयोगिता सिद्ध हुई।प्रशिक्षण सत्र में जिले की पैक्स व लैम्पस के लगभग 50 प्रतिभागियों ने भाग लेकर प्रशिक्षण प्राप्त किया।

आहार अनुदान योजना में पंजीयन जरूरी

श्योपुर। विशेष पिछड़ी जनजाति की महिलाओं के लिये आहार अनुदान योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना में हितग्राही को राशि का भुगतान प्राप्त करने के लिए पंजीयन जरूरी है। पंजीयन की सुविधा विभागीय ऑनलाइन पोर्टल पर प्रोफाइल पंजीयन की सुविधा प्रदान की गई है। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जिले के समस्त विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के हितग्राही निकटतम कियोस्क केन्द्र पर जाकर अपना प्रोफाइल पंजीयन करा सकते हैं। यह कार्य एमपी ऑनलाइन, सीएससी एवं लोक सेवा केन्द्रों द्वारा निःशुल्क किया जा रहा है।

आहार अनुदान योजना में समस्त पात्र हितग्राही अपना प्रोफाइल पंजीयन कराएं। जिससे उन्हें विभागीय योजनाओ का लाभ प्राप्त करने में आसानी होगी। अधिक जानकारी के लिये हितग्राही अपने क्षेत्र के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

पी.जी.डी.सी.ए. मात्र 9100/-
डी.सी.ए. मात्र 8100/-
न्यूनतम योग्यता पी.जी.डी.सी.ए. स्नातक एवं डी.सी.ए.-बारहवीं (10+2)
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा संचालित (माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से सम्बद्ध)

सहकारी कम्प्यूटर एवं प्रबंध प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल
ई–8/77 शाहपुरा, त्रिलंगा, भोपाल (म.प्र.) पिनकोड–462 039
फोन.–0755 2725518, 2726160 फेक्स–0755 2726160
Email: rajyasanghbpl@yahoo.co.in,ccmtcbpl@rediffmail.com

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र किला मैंदान, इंदौर
फोन : 0731-241908, 9926451862

किसानों के खातों में पहुंचे 33 हजार करोड़ : गरीबों के 44 करोड़ बिजली बिल हुए माफ

मुख्यमंत्री द्वारा विदिशा जिले में 170 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में हुए किसान सम्मेलन में घोषणा की कि आगामी अगस्त माह से विदिशा में मेडिकल कॉलेज शुरू किया जायेगा। इससे विदिशा तथा आसपास की जनता को गंभीर बीमारियों के लिये भी समुचित उपचार आसानी से मिल सकेगा। श्री चौहान ने एक लाख 33 हजार किसानों के बैंक खातों में फसल बीमा योजना की 445 करोड़ की बीमा राशि ऑनलाईन ट्रांसफर की। मुख्यमंत्री ने विदिशा जिले में 170 करोड़ रूपये लागत के निर्माण कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया।

श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष किसानों से गेहूँ की खरीदी समर्थन मूल्य को जोड़कर 2 हजार रूपये क्विंटल के मान से की जा रही है। इसके अलावा चना, उड़द और मूंग आदि फसलों की खरीदी भी राज्य सरकार कर रही है, ताकि किसान को उसकी कृषि उपज का लाभकारी मूल्य आसानी से मिल सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि खेती को हर हाल में लाभकारी व्यवसाय बनाया जाये। श्री चौहान ने बताया कि मध्यप्रदेश का सोयाबीन चीन को निर्यात करने के प्रयास किये जा रहे हैं। इसके लिये उच्च स्तर पर चर्चा चल रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संबल योजना समाज के हर गरीब व्यक्ति के जीवन को खुशहाल बनाने के लिये क्रियान्वित की जा रही है। योजना में पंजीकृत असंगठित श्रमिकों तथा अन्य पात्र जरूरतमंद के 44 करोड़ से भी अधिक राशि के बकाया बिजली बिल माफ कर दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि योजना में जो असंगठित श्रमिक और अन्य पात्र लोग अभी तक पंजीयन नहीं करा पाये हैं, उनके पंजीयन के लिये व्यवस्था की जा रही है।

सम्मेलन में सांसद श्री लक्ष्मीनारायण यादव, लोक निर्माण मंत्री श्री रामपाल सिंह, उद्यानिकी राज्य मंत्री श्री सूर्यप्रकाश मीणा, विधायक श्री कल्याण सिंह ठाकुर और श्री वीर सिंह पंवार, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री तोरण सिंह दांगी, नगर पालिका अध्यक्ष श्री मुकेश टंडन, को–ऑपरेटिव बैंक के अध्यक्षश्री श्याम सुंदर शर्मा, अन्य जन–प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में विभिन्न वर्गों के लोग मौजूद थे।

स्व-कराधान करने वाली पंचायतों को राज्य सरकार देगी दोगुनी राशि : श्री भार्गव

ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा दो दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ

भोपाल। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि ग्राम पंचायत जितनी राशि कराधान द्वारा वसूल करेगी, राज्य सरकार अपने खाते से उसकी दोगुनी राशि ग्राम पंचायत के विकास के लिये देगी। उन्होंने यह बात जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान में स्व–कराधान और डिजिटल ट्रांजेक्शन विषय पर आयोजित पंचायत प्रतिनिधियों की कार्यशाला में कही।

ग्रामीण विकास मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि ग्राम स्वराज की अवधारणा तभी साकार होगी, जब पंचायतें आर्थिक स्वाबलम्बन प्राप्त करेंगी। इसके लिये पंचायत प्रतिनिधि अपने अधिकारों के साथ कर्त्तव्यों के प्रति भी सचेत रह कर कार्य करें। उन्होंने कहा कि पंचायत राज अधिनियम के माध्यम से पंचायतों को असीमित अधिकार प्रदान किये गये हैं, जिनका उपयोग वह पंचायत के समग्र विकास के लिये करें। श्री भार्गव ने पंचायत प्रतिनिधियों से जनहित में करारोपण करने और वसूल करने की अपील की है।

मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि डिजिटिलाइजेशन के बाद देश में नगद मुद्रा का चलन कम हुआ है, जो समय की माँग है। उन्होंने कहाकि मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है, जहाँ ग्राम पंचायतें शत–प्रतिशत डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रही हैं। उन्होंने कार्यशाला में देश के अन्य राज्यों पंजाब, गुजरात, छत्तीसगढ़ से आये सरपंचों के अनुभव भी सुने और उनसे अन्य लोगों को शिक्षा लेने की सलाह दी।

संचालक पंचायत राज श्री शमीम उद्दीन ने कार्यशाला के उद्देश्यों और कार्य–प्रक्रिया पर प्रकाश डाला। आभार प्रदर्शन वाल्मी संचालक श्रीमती उर्मिला शुक्ला ने किया।

स्वरोजगार के लिए चिरौंजी प्रसंस्करण इकाई लगाएं

जबलपुर। संभाग के वनों की लघु वनोपजों में चिरौंजी शामिल है। इसका उत्पादन भी पर्याप्त मात्रा में होता है। संभागायुक्त आशुतोष अवस्थी ने सभी जिला कलेक्टर्स और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को चिरौंजी प्रसंस्करण इकाई से रोजगार और संग्राहक आदिवासियों को चिरौंजी की अच्छी कीमत मिलने की संभावना के मद्देनजर प्रत्येक विकासखण्ड में कम से कम दो इकाईयां स्थापित करने के लिए कहा है।

संभागायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना–न्तर्गत चिरौंजी प्रसंस्करण इकाई स्थापित हो सकती है। चार अगस्त 2018 को स्वरोजगार मेला का आयोजन जिला मुख्यालयों में किया जाना है। अतः स्वसहायता समूह और व्यक्तिगत स्वरोजगारों को भी चिन्हित कर प्रकरण बैंक को प्रेषित कर स्वीकृत कराने की पहल आवश्यक है। प्रशिक्षण तथा क्षेत्र भ्रमण के लिए सेडमेप तथा उद्योग विभाग का सहयोग लिया जा सकता है।

मध्यप्रदेश में विकास का विजन स्पष्ट है - मुख्यमंत्री श्री चौहान

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश में राज्य सरकार का विकास का विजन स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि विकास की अवधारणा सड़क, पुल–पुलियों और अन्य निर्माण तक ही सीमित नहीं है। आम लोगों की जिन्दगी को खुशहाल बनाना और विकास का प्रकाश हर घर तक पहुँचाना राज्य सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि जल, जंगल, जमीन, नदी, पर्वत पर सबका समान अधिकार है। मुख्यमंत्री समन्वय भवन में म.प्र. विकास संवाद संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। संगोष्ठी का आयोजन हिन्दुस्तान समाचार संस्थान द्वारा किया गया था। कार्यक्रम में सांसद श्री प्रभात झा, जन–अभियान परिषद के उपाध्यक्ष श्री राघवेन्द्र गौतम और असंगठित कर्मकार मंडल के अध्यक्ष श्री सुल्तान सिंह शेखावत मौजूद थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार का प्रमुख कार्य विकास की यात्रा को गतिशील बनाये रखना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर लाकर विकसित राज्य बनाया गया है। अब इसे समृद्ध राज्य बनाने का प्रयास जारी है। श्री चौहान ने कहा कि सबको आवश्यक बुनियादी सुविधाएँ और विकास के समान अवसर तथा संसाधन उपलब्ध करवाने के प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार के अवसर बढ़ाने और कृषि उत्पाद का वैल्यू एडिशन स्थापित करने पर जोर दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने विरासत में मिले बदहाल और उजड़े प्रदेश का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा जारी विकास यात्रा से प्रदेश की तस्वीर बदली है। अब यहाँ शानदार सड़कें हैं। विद्युत उत्पादन 2900 मेगावॉट से बढ़कर 18 हजार 364 मेगावॉट हो गया है। सिंचाई का क्षेत्र सात लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 40 लाख हेक्टेयर तक कर लिया गया है और इसे 80 लाख हेक्टेयर करने का रोडमैप तैयार है। कृषि में पिछले पाँच वर्षों से औसतन 20 प्रतिशत वृद्धि दर कायम है, इससे उत्पादन भी लगभग दोगुना हो गया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन में भी मध्यप्रदेश अग्रणी है। प्रदेश के इंदौर और भोपाल शहर लगातार दो वर्षों से स्वच्छता में प्रथम दो स्थानों पर रहे हैं। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में 17 लाख मकान बन रहे हैं।

निवेश और पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से कार्य हो रहा है। चीन में प्रदेश के सोयाबीन को बाजार उपलब्ध करवाने के प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने अमेरिका प्रवास के दौरान प्रदेश की सड़कों को अमेरिका से अच्छा कहने पर आलोचना का संदर्भ देते हुए कहा कि हमें अपने देश और प्रदेश पर गर्व है। हमारे लिये सारे जहाँ से अच्छा हमारा हिन्दुस्तान है। उन्होंने कहा कि सारी दुनिया को विश्व कल्याण, प्राणियों में सद्भावना, सबके सुखी और निरोगी होने की कामना, विश्व को परिवार मानने की संकल्पना भारत ने ही दी है।

झाबुआ व शाजापुर जिले में सायबर सुरक्षा पर कार्यशाला का आयोजन

इन्दौर। म. प्र. राज्य सहकारी संघ मर्या., भोपाल द्वारा सायबर क्राईम व उससे सुरक्षा उपाय तथा कानूनी पहलू पर कार्यशालाओं का आयोजन प्रदेश स्तर पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में दिनांक 10 जुलाई 2018 को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., झाबुआ मुख्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें बैंक के वरिष्ठ महाप्रबंधक श्री पी. एन. यादव तथा बैंक व सहकारिता विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया। दिनांक 16 जुलाई 2018 को कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, शाजापुर में कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें उपायुक्त श्रीमती सुनीता गोठवाल सहित अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया।

दिनांक 17 जुलाई 2018 को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. शाजापुर मुख्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें बैंक के प्रबंधक श्री एन. के. गुप्ता, श्री के. के. नागर व श्री बी. एस. भदोरिया सहित बैंक अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में सायबर अपराध के प्रकार व तरीके के बारे में जानकारी दी गयी तथा इससे सुरक्षा के उपायो के प्रति जागरूक किया गया। भारतीय सूचना प्रोद्यौगिकी कानून 2000 के प्रावधानों की जानकारी भी प्रदान की गई।

सभी ने कार्यक्रम को वर्तमान समय के अनुसार बहुत उपयोगी बताया। प्रशिक्षण संबंधी पाठ्यसामग्री भी वितरित की गई। सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, इन्दौर के कम्प्यूटर प्रशिक्षक श्री शिरीष पुरोहित द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।

सहकारी कर्मियों की दक्षता वृद्धि हेतु प्रशिक्षण आवश्यक

शहडोल। सहकारी समितियों की गतिविधियों को प्रभावी और विकसित बनाने के लिए आवश्यक है कि समितियों के कर्मचारियों की दक्षता में वृद्धि की जाये और इसके लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए यह विचार शहडोल में उप आयुक्त सहकारिता श्री बी.एल. परते ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शहडोल के सभा भवन में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में व्यक्त किये। उप आयुक्त श्री परते ने कहा कि कर्मचारियों को अर्जित प्रशिक्षण का उपयोग अपने कार्यक्षेत्र में करना चाहिए। इस कार्यक्रम में अनूपपुर जिले की सहकारी समितियों के कर्मचारियों ने भाग लेकर प्रशिक्षण प्राप्त किया।

शिविर का आयोजन सहकारी प्रशिक्षण केंद्र जबलपुर के व्याख्याता व सत्र समन्वयक श्री एस.के. चतुर्वेदी द्वारा दिनांक 22 जुलाई 2018 को किया गया। श्री चतुर्वेदी ने कर्मचारियों को सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली, सहकारी विधान और समरूप लेखांकन पर विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया जो उनके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ। कार्यक्रम में सहकारी बैंक के शाखा प्रबंधक श्री बालकरण तिवारी ने भी विचार व्यक्त किये। अंत में आभार प्रदर्शन वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक श्री अमृतलाल गुप्ता ने किया।

कार्यक्रम में विभिन्न वक्ताओं ने भी विचार व्यक्त किये और कहा कि मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा अपने प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से व्यापक स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। समितियों के कर्मचारियों को इसका लाभ उठाना चाहिए।

मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना में मिलेंगे 16 हजार रूपये

इंदौर। मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना–2018 मध्यप्रदेश के समस्त पंजीकृत श्रमिक कर्मकार परिवारों के लिए हैं। उन्हें प्रसूति के दौरान कार्य से अनुपस्थित रहने के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान की प्रतिपूर्ति की जायेगी। श्रम पदाधिकारी इंदौर श्री बी.पी. सिंह ने बताया है कि योजना अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक परिवार की महिलाओं को कुल 16 हजार रूपये की सहायता राशि दो किश्तों में दी जायेगी।

योजना के लिए पात्रता

प्रसूति सहायता योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र की गर्भवती महिला एवं प्रसूतायें, पंजीकृत श्रमिक महिला अथवा पंजीकृत श्रमिक पुरूष की पत्नी, प्रसूति सहायता शासकीय चिकित्सालय में प्रसव होने की स्थिति में ही देय होगी और प्रसूति सहायता का लाभ अधिकतम 2 जीवित जन्म वाले प्रसव हेतु ही मान्य किया जायेगा।

शर्तें एवं प्राप्त होने वाला लाभ

प्रथम किश्त गर्भावस्था के दौरान निर्धारित अवधि में अंतिम तिमाही तक चिकित्सकध्ए.एन.एम. द्वारा 4 प्रसव पूर्व जांच कराने पर राशि 4 हजार रूपये महिला को दी जायेगी। द्वितीय किश्त शासकीय चिकित्सालय में प्रसव होने पर नवजात शिशु को संस्थागत जन्म उपरांत शीघ्र स्तनपान व पंजीयन कराने पर एवं शिशु को ओ डोज BCG, OPV, व Hep BV टीकाकरण कराने पर राशि 12 हजार रूपये महिला को दी जायेगी। इसी प्रकार कुल 16 हजार रूपये मिलेगें

योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज

महिला अथवा पात्र श्रमिक का पंजीयन कार्ड अथवा समग्र कार्ड, शासकीय स्वास्थ्य संस्था में प्रसव का प्रमाण–पत्र, मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड, आधार कार्ड की छायाप्रति और आधार संबद्ध बैंक खाते की पासबुक की छायाप्रति योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक हैं।

राज्य बीमारी सहायता निधि योजना

शासन द्वारा श्रमिक संवर्ग के परिवार के सदस्यों को राज्य बीमारी सहायता निधि के अंतर्गत 21 चिन्हित बीमारियों के निरूशुल्क उपचार की सुविधाओं का लाभ देने हेतु 04 मई 2018 से सम्मिलित किया गया हैं। अब पंजीकृत श्रमिकों और उनके आश्रितों को राज्य बीमारी सहायता योजना का लाभ भी मिलेगा। अभीतक इस योजना का लाभ मात्र BPL परिवारों को मिलता था।

सफलता की कहानी

मसाला खेती हल्दी, अदरक ने किसान सौमत को दिया सहारा

श्योपुर। जिले के आदिवासी विकासखण्ड कराहल के ग्राम दुबडी निवासी किसान श्री सौमत पुत्र श्री कलुआ आदिवासी ने मसाला खेती की दिशा में हल्दी, अदरक की खेती का प्रयोग कर सम्मानित किसान की पहचान बनाई है। हल्दी, अदरक के उत्पादन ने उनको तरक्की राह की दिशा में सहारा दिया है।

ग्राम दुबडी निवासी श्री सौमत आदिवासी पहले से अपने 02 बीघा खेत में तिल की फसल की बोनी करते थे। इस फसल में वर्षा का पानी मध्य श्रेणी का गिरने से पैदावार ईजाफा होता था। जिस वर्ष वर्षा बहुत कम होती तब उसकी तिल फसल ना के बराबर होती। एक दिन वह कृषि विभाग के कराहल स्थित कराहल पहुंचा। तब उसे आरएईओ ने समझाइश दी कि अधिक आमदनी लेने के लिए मसाला खेती हल्दी, अदरक की बोनी की जाकर तरक्की की राह पकडी जा सकती है। ग्राम भ्रमण के दौरान अधिकारी/कर्मचारियो के दल भ्रमण के दौरान भी मुझे हल्दी और अदरक की खेती करने की समझाइश दी गई थी।

करालह क्षेत्र के ग्राम दुबडी के रहने वाले श्री सौमत आदिवासी ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित किसान कल्याण योजना से उन्नत किस्म का खाद और हल्दी, आदरक लगाकर दो बीघा जमीन में खेती करने का अवसर प्राप्त किया। उन्नत खेती की दिशा में प्रशिक्षण की प्राप्त कर अनुदान राशि से हल्दी, अदरक की खेती शुरू की। जिसकी अच्छी पैदावार होने से बाजार में भी उचित दाम मिलने लगे। साथ ही मैं अपनी खेती को लाभ का धंधा बनाने में सक्षम बन गया हूॅ। श्री सौमत आदिवासी बताते है कि दो बीघा जमीन में हल्दी और अदरक की खेती के व्यवसाय से मैं सम्मान की जिदगी जीने में सहायक बन गया हूॅ। साथ ही कृषि एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के माध्यम से जैविक खेती के प्रति जागरूक और प्रेरणा भी मिली है।

जिले के आदिवासी विकासखण्ड कराहल के ग्राम दुबडी निवासी श्री सौमत आदिवासी ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किसानो की खेती को फायदा का धंधा बनाने के प्रयासों के कारण आज मैं तरक्की की राह पकड रहा हूॅ। साथ ही मसाला खेती की दिशा में अदरक और हल्दी की फसल से मेरी आर्थिक दशा सुधारी है। जिसके लिए मैं और मेरा परिवार मध्यप्रदेश सरकार, जिला प्रशासन और कृषि तथा उद्यानिकी विभाग का आभारी हूॅ।

नये उत्पादों को जी.आई टैग मिलने से बढ़ेगा प्रदेश का अन्तर्राष्ट्रीय निर्यात

म.प्र. का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2.4 बिलियन डालर हुआ

भोपाल। भारतीय आयात–निर्यात बैंक (एक्जिम) ने मध्यप्रदेश की निर्यात संवर्धन रिपोर्ट प्रस्तुत कर बताया है कि मध्यप्रदेश का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 2016–17 में 2.4 बिलियन डालर रहा है। यह देश में अन्य राज्यों की तुलना में 15वें स्थान पर है। प्रदेश का निर्यात देश के कुल अन्तर्राष्ट्रीय निर्यात का 1.6 प्रतिशत है।

एक्जिम बैंक की स्टडी रिपोर्ट के अनुसार मध्यप्रदेश 2021–22 तक 10 बिलियन डॉलर का लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। इसके लिये कई चरणों में नीतिगत निर्णयों के साथ महत्वपूर्ण कदम भी उठाने होंगे। रिपोर्ट में बताया गया है कि मध्यप्रदेश से निर्यात में दवाओं का प्रतिशत सर्वाधिक है। अन्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिये अनेक क्षेत्रों में प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। विशेषकर पर्यटन, भण्डारण, यातायात के बेहतर संसाधन उपलब्ध करवाने और पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय से क्षेत्रीय उत्पादों की मार्केटिंग से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने में मददगार हो सकती हैं।

प्रदेश के नये उत्पादों को जी.आई टैग मिलने से अन्तर्राष्ट्रीय निर्यात 2022 तक 10 बिलियन डॉलर के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अभी मध्यप्रदेश की केवल 7 वस्तुओं/उत्पादों को ही जी.आई. टैग मिले हैं। इनमें चन्देरी का कपड़ा, इंदौर के चमड़े के खिलौने, बाघ प्रिन्ट, दतिया और टीकमगढ़ के धातु शिल्प, महेश्वरी साड़ी, रतलामी सेव और कड़कनाथ मुर्गे को ही वर्ल्ड ट्रेड आर्गेनाइजेशन से संबंधित जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स (रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन) एक्ट 1999 के अन्तर्गत जी.आई टैग दिये गये हैं। वर्तमान में देश में सर्वाधिक कर्नाटक के 30 और आन्ध्रप्रदेश के 14 उत्पाद को जी.आई टैग मिला हुआ है।

17 जुलाई तक 35 लाख 56 हजार आवासहीनों को मिले भू-खण्ड

भोपाल। राज्य शासन द्वारा आवासहीन व्यक्तियों को आवास के लिये भू–खण्ड उपलब्ध कराने के लिये चलाये जा रहे भू–खण्ड अधिकार में 17 जुलाई तक 35 लाख 56 हजार 45 भूमिहीन व्यक्तियों को आवास के लिये भू–खण्ड दिये जा चुके हैं। राज्य शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि यदि किसी व्यक्ति ने 31 दिसम्बर, 2014 के पहले निवास और उसके अनुषांगिक प्रयोजन के लिये भवन का निर्माण कर लिया है, तो वह जमीन उसे आवंटित कर दी जायेगी। इस संबंध में अधिनियमों में जरूरी संशोधन किये जा चुके हैं। यह आवासीय भू–खण्ड आबादी क्षेत्र में, घोषित आबादी में, दखलरहित भूमि में व्यवस्थापन, वास–स्थान दखलकार अधिनियम और नगरीय क्षेत्रों में पट्टाधृति अधिकार के अंतर्गत दिये गये हैं।

राजस्व मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने जानकारी दी है कि एक जनवरी 2018 के बाद जिला श्योपुर में 1510, मुरैना में 301, भिण्ड में 49 हजार 850, शिवपुरी में 46 हजार 372, गुना में 6284, अशोकनगर में 13 हजार 191, दतिया में 2200, देवास में 34 हजार 83, रतलाम में 12 हजार 718, शाजापुर में 38 हजार 637, आगर में 12 हजार 668, मंदसौर में 23 हजार 417, नीमच में 39 हजार 875, उज्जैन में 24 हजार 992, इंदौर में 1065, धार में 5566, झाबुआ में 2290, खरगोन में 84 हजार 293, बड़वानी में 12 हजार 427, बुरहानपुर में 6805 और अलीराजपुर में 1247 व्यक्ति को आवासीय पट्टे वितरित किये जा चुके हैं।

इसी तरह जिला भोपाल में 8 हजार 441, सीहोर में 9 हजार 329, रायसेन में 59 हजार 956, राजगढ़ में 60 हजार 352, विदिशा में 50 हजार 730, बैतूल में 5 हजार 137, होशंगाबाद में 446, हरदा में 21 हजार 964, सागर में 8 हजार 230, दमोह में एक लाख 33 हजार 28, छतरपुर में 3029, टीकमगढ़ में 609, पन्ना में 1259, जबलपुर में 6 हजार 620, कटनी में 3 हजार 450, नरसिंहपुर में 49 हजार 972, छिन्दवाड़ा में 4 हजार 818, मण्डला में एक हजार 699, डिण्डोरी में 14 हजार 531, सिवनी में 5 हजार 987, बालाघाट में 2 हजार 820, रीवा में 9 हजार 452, सिंगरौली में एक हजार 185, सीधी में 14 हजार 931, सतना में 7 हजार 746, शहडोल में 4 हजार 711, अनूपपुर में 358 और उमरिया में 16 हजार 298 भूमिहीन व्यक्तियों को आवासीय भूमि के पट्टे वितरित किये गये हैं। शेष 7 लाख 99 हजार 700 आवासहीनों को पट्टे देने की कार्यवाही जारी है।

डेंगू से डरना नहीं, समझना होगा

इंदौर। डेंगू एवं चिकुनगुनिया का वाहक एडीज मच्छर रूके हुए साफ पानी में पैदा होता है और दिन के समय काटता है। पानी को जमा न होने दें, आसपास सफाई रखें और डेंगू एवं चिकुनगुनिया से बच सकते हैं। तेज बुखार, आंखों के पीछे दर्द, मांसपेशियों और सिर में तेज दर्द, मसूड़ों व नाक से खून बहना और शरीर पर लाल चकत्ते होना इसके लक्षण हैं। तेज बुखार, सिर दर्द, जोडों में असामान्य दर्द और शरीर पर लाल चकत्ते होना इसके लक्षण हैं। ये लक्षण पाए जाने पर शासकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क खून की जांच कराएं और डॉक्टर की सलाह अनुसार पूरा उपचार लें। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी के बर्तनों को सप्ताह में एक बार खाली करें, सुखाकर पानी भरें, पानी की सभी टंकियों एवं बर्तनों को ढंक कर रखे, बिना उपयोग वाली वस्तुओं को नष्ट करें, ताकि उनमें जल भराव न हो, पूरे अस्तीन वाले कपड़े पहनें और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई न लें।

मुख्यमंत्री ने किसानों के खातों में ट्रांसफर किये फसल बीमा योजना के 43.90 करोड़

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और केन्द्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग, पोत एवं जल–संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री श्री नितिन गडकरी ने गुना में विकास पर्व एवं किसान महा–सम्मेलन में 5 हजार 130 करोड़ की लागत के विकास कार्यों का भूमि–पूजन और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने फसल बीमा योजना में किसानों के बैंक खातों में 43 करोड़ 90 लाख की बीमा राशि ऑनलाईन ट्रांसफर की। कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के 43 हजार 882 हितग्राहियों को हित–लाभ भी वितरित किये गये।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि केन्द्र सरकार के सहयोग से मध्यप्रदेश अब बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर निकलकर देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल हो गया है। केन्द्र द्वारा प्रदेश को सड़कों के निर्माण के लिये 13 हजार 500 करोड़ रूपये की राशि दी गई, जिससे प्रदेश में बेहतर सड़कों का निर्माण संभव हो सका है। मुख्यमंत्री जन–कल्याण (संबल) योजना के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कृषि को लाभ का धंधा बनाने तथा कृषि उत्पादन दोगुना करने के संकल्प को प्रदेश में पूरा करने के लिये सभी संभव प्रयास किये जा रहे हैं। केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी ने कहा कि ग्वालियर क्षेत्र के चम्बल एक्सप्रेस–वे का निर्माण कार्य इसी वर्ष शीघ्र शुरू किया जायेगा। इसके लिये जमीन अधिग्रहण का कार्य शुरू हो गया है। इसके बन जाने से अंचल के लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, उद्योग धंधे विकसित होंगे तथा आवागमन के लिये एक नया मार्ग मिलेगा। उन्होंने बताया कि दिल्ली और मुम्बई के बीच एक नये हाई–वे का निर्माण किया जा रहा है। जिस पर एक लाख करोड़ रूपये की राशि व्यय होगी। यह हाई–वे राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र राज्यों से गुजरेगा। इस हाई–वे में मध्यप्रदेश की 250 किलोमीटर की सड़क शामिल है। यह हाई–वे भी प्रदेश के विकास में सहायक होगा। श्री गडकरी ने बताया कि केन–बेतवा–लिंक नदी प्रोजेक्ट के पानी के बँटवारे के संबंध में शीघ्र ही समाधानकारक निराकरण किया जायेगा। केन्द्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि देश में 100 नये राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य शुरू किये जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान और केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी को समारोह में एनआरएलएम के स्व–सहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित सामग्री भेंट की गई। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों ने संबल योजना के क्रियान्वयन के लिये मुख्यमंत्री को आभार–पत्र भेंट किया। गुना अभिभाषक संघ द्वारा भी प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिये मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया गया।

समारोह में लोक निर्माण मंत्री श्री रामपाल सिंह, जिले के प्रभारी मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया, सांसद श्री रोडमल नागर, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अर्चना चौहान, विधायक श्री पन्नालाल शाक्य और सुश्री ममता मीना, अन्य जन–प्रतिनिधि और विशाल जन–समुदाय मौजूद था।

प्रदेश में खरीफ फसलों के लिये किसानों का फसलवार ई-पंजीयन 31 अगस्त तक

पंजीकृत किसानों के बोवनी के रकबे का सत्यापन राजस्व विभाग करेगा

भोपाल। प्रदेश में खरीफ 2018 में बोई जाने वाली फसलों का फसलवार पंजीयन ई–उपार्जन पोर्टल पर 28 जुलाई से शुरू होगा। पंजीयन 31 अगस्त तक चलेगा।

धान का पंजीयन सभी जिलों में ई–उपार्जन पोर्टल पर किया जायेगा। इसके अलावा ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, अरहर, उड़द, मक्का का भी सभी जिलों में ई–उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन किया जायेगा। मूँग का प्रदेश के 34 जिलों के किसानों का पंजीयन किया जायेगा। इन जिलों में जबलपुर, सीहोर, रीवा, आगर–मालवा, दमोह, सतना, विदिशा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, धार, खरगोन, भिण्ड, छिंदवाड़ा, बड़वानी, रतलाम, शिवपुरी, छतरपुर, टीकमगढ़, सीधी, खण्डवा, गुना, सागर, रायसेन, भोपाल, दतिया, श्योपुर कलां, राजगढ़, मंदसौर, पन्ना, मुरैना, हरदा, बुरहानपुर, उज्जैन और अशोकनगर शामिल हैं।

मूँगफली के किसानों का 20 जिलों में पंजीयन किया जाएगा। इनमें शिवपुरी, टीकमगढ़, छिंदवाड़ा, अलीराजपुर, बड़वानी, छतरपुर, नीमच, बैतूल, दतिया, सिवनी, झाबुआ, खरगोन, खण्डवा, धार, मंदसौर, दमोह, सागर,शहडोल, आगर–मालवा और राजगढ़ जिला शामिल हैं।

तिल फसल के लिये 30 जिलों के किसानों का पंजीयन किया जायेगा। इनमें छतरपुर, दतिया, भिण्ड, पन्ना, टीकमगढ़, ग्वालियर, सिंगरौली, मुरैना, श्योपुर कलाँ, सीधी, शिवपुरी, सतना, शहडोल, कटनी, राजगढ़, रीवा, उमरिया, सिवनी, छिंदवाड़ा, दमोह, बालाघाट, गुना, अनूपपुर, मंदसौर, मण्डला, खण्डवा, सागर, जबलपुर, नीमच और बैतूल जिले शामिल हैं। राम–तिल फसल में 13 जिलों के किसानों का ई–उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन किया जायेगा। इनमें छिंदवाड़ा, डिण्डोरी, शिवपुरी, अनूपपुर, सिवनी, ग्वालियर, खरगोन, मण्डला, सिंगरौली, सतना, शहडोल, अशोकनगर और श्योपुर कला जिला शामिल हैं।

खरीफ 2018 के लिये केन्द्र सरकार ने जिन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किये हैं, उनमें से धान, ज्वार, बाजरा और कपास का पंजीयन ई–उपार्जन पोर्टल पर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य फसल का ई–उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन किया जायेगा तथा इन फसलों के उपार्जन पर भावांतर प्रोत्साहन राशि के भुगतान के बारे में राज्य शासन द्वारा अलग से निर्णय लिया जायेगा। पंजीकृत किसानों के बोवनी का सत्यापन कार्य राजस्व विभाग द्वारा खाद्य और नागरिक आपूर्ति तथा किसान–कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

ग्वालियर के कृषि विश्वविद्यालय ने बढ़ाया मध्यप्रदेश का गौरव

भोपाल। राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर ने देशभर में मध्यप्रदेश का नाम रोशन किया है। कृषि विश्वविद्यालयों की वार्षिक रैंकिंग में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ने देश भर में पांचवा स्थान प्राप्त कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2017 के लिये किए गये मूल्यांकन में विश्वविद्यालय को यह स्थान मिला है। राज्यों के कृषि विश्वविद्यालय केन्द्र के कृषि विश्वविद्यालय एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सम (डीम्ड) विश्वविद्यालयों की कुल सूची में विश्वविद्यालय का स्थान दसवां रहा है। इस सूची में कुल 65 संस्थायें शामिल हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता, अनुसंधान और अधोसंरचना सहित विभिन्न बिन्दुओं पर प्रति वर्ष मूल्यांकन किया जाता है। वर्ष 2008 में स्थापित राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने अपनी स्थापना के एक दशक के भीतर ही यह महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त कर प्रदेश को गौरवान्वित किया है।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय टास्क फोर्स ऑन मोबिलिटी

भोपाल। राज्य शासन ने लोक परिवहन को संवहनीय बनाने के लिये स्ट्रेटेजी पेपर और राज्य स्तरीय कार्य योजना बनाने के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय टास्क फोर्स ऑन मोबिलिटी का गठन किया है। नीति आयोग के निर्देशों के परिपालन में गठित इस टास्क फोर्स में प्रमुख सचिव परिवहन,प्रमुख सचिव वित्त, प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास, प्रमुख सचिव राजस्व,प्रमुख सचिव लोक निर्माण, परिवहन आयुक्त, सदस्य सचिव राज्य योजना आयोग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्यप्रदेश इन्टरसिटी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी सदस्य होंगे। टास्क फोर्स में राज्य शासन द्वारा विषय विशेषज्ञ भी नामित किये जायेंगे। सचिव, परिवहन टास्क फोर्स के सदस्य सचिव होंगें।

टास्क फोर्स राज्य में उपलब्ध परिवहन व्यवस्था और आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुऐ विभिन्न स्टेक होल्डर से चर्चा कर राज्य के लिये मोबिलिटी स्ट्रेटेजी और स्टेट ट्रांस्पोर्ट एक्शन प्लान तैयार करेगी।

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

दावे नहीं प्रमाण

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री

प्रदेश में कृषि क्षेत्र में हुई क्रांति
खाद्यान्न उत्पादन में हुई बढ़ोत्तरी

मध्यप्रदेश सरकार ने वर्ष 2003 से लेकर 2018 तक कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जिनके कारण राज्य में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा है और किसान खुशहाल बने हैं।

गेहूं उत्पादन

219 लाख मी. टन
(345 % की वृद्धि)

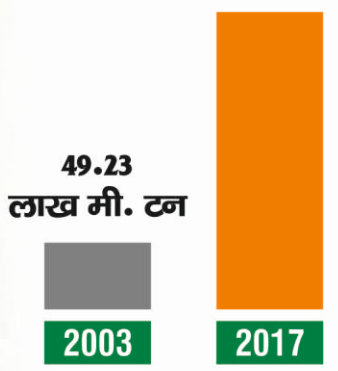

धान उत्पादन

80.98 लाख मी. टन
(684 % की वृद्धि)

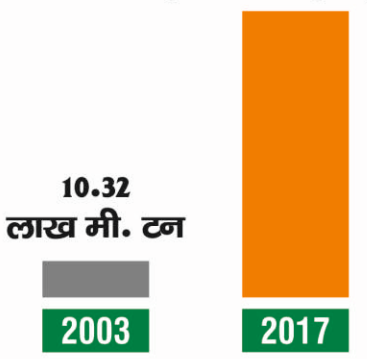

सोयाबीन उत्पादन

84.16 लाख मी. टन
(215 % की वृद्धि)

दलहन उत्पादन

91.69 लाख मी. टन
(163 % की वृद्धि)

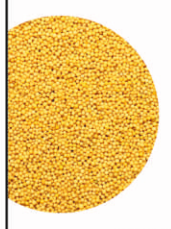

तिलहन उत्पादन

69.36 लाख मी. टन
(23 % की वृद्धि)

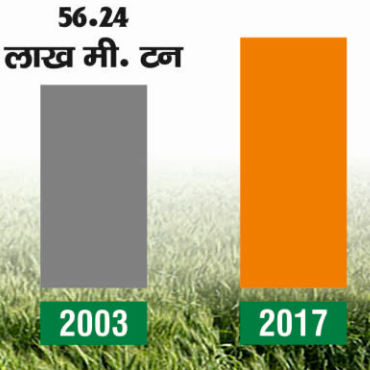

पूरा किया विकास का वादा, आगे है अटल इरादा

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी /CMMadhyaPradesh /CMMadhyaPradesh आकल्पन : म.प्र. माध्यम/2018

D-17004/2018

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा
डाक पंजीयन क्रमांक – म.प्र./भोपाल/357/2015-17 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2725518, फैक्स : 0755-2726160 इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।